

18 .08.2022:- आज यह पत्रावली पेशी मे आई। वादी गुरजन्त सिंह जरिये अधिवक्ता श्री सुमित अरोडा उपस्थित आये। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी अपने वादपत्र मे आगे कोई कार्यवाही नही चलाना चाहते है। वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर अगूठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री सुमित अरोडा द्वारा की गई। अतः वादपत्र वादी मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो ।

★  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़



Web Copy - Not Official